Phone & Fax no. 0135-2431159 E-mail: cfbhagi-forest-uk@nic.in

कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती

पत्रांक सं0: 1244 /12–1 मुनिकीरेती, दिनांक 28 / 12 /2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकरी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी।

विषय – **जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड– भिलंगना में बालगंगा नदी एवं भिलंगना नदी के संगम पर बालगंगा महाविद्यालय को जोड़ने हेतु स्टील गार्डर सेतु एवं एप्रोच मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.085 है० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध मे। (FP/UK/ROAD/47739/2020)**

सन्दर्भ– **आपका पत्रांक 722/12–1, दिनांक 09.10.2023**

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि प्रश्नगत परियोजना के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर लगाई गयी आपत्ति दिनांक–03.03.2022 के निराकरण के उपरांत प्रस्ताव की हार्ड प्रति इस कार्यालय को उपलबध करायी गयी है। जिसका अवलोकन करने के उपरांत प्रस्ताव में कमियां परिलक्षित हुई हैं, जिनका उल्लेख निम्नलिखित है–

1. विषय सूची में पृष्ठ संख्या अंकित नही है।
2. उपजिलाधिकारी स्तरीय संयुक्त निरीक्षण आख्या, प्रारूप–6 में उपजिलाधिकारी एवं उप प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर अपेक्षित हैं।
3. आपके द्वारा चस्पा संयुक्त निरीक्षण में 108 वृक्षों का प्रभावित होने का उल्लेख किया गया है, जबकि प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना सूची में 163 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। कृपया स्पष्ट करें।
4. प्रभावित होने वाले वृक्षों का सारांश प्रारूप–21 में वृक्षों की संख्या 64 दर्शायी गयी है, जबकि अन्य प्रपत्रों में वृक्षों की संख्या 163 दर्शायी गयी है।
5. प्रारूप–22, बांज वृक्षों के प्रमाण पत्र में अधोहस्ताक्षरी का निरीक्षण हेतु सूचना प्रेषित नही की गयी है। कृपया स्पष्ट करें।
6. प्रारूप–25, राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य से हवाई दूरी का प्रमाण पत्र मुख्य वन संरक्षक अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं आई०टी० सेल, उत्तराखण्ड, देहरादून से प्राप्त कर तद्नुसार प्रारूप–25 में हवाई दूरी का आकलन चस्पा करें।
7. प्रारूप–30, जिलास्तरीय समिति में स्थान तथा दिनांक अंकित नहीं की गयी है।
8. प्रारूप–30.1, उपखण्ड स्तरीय समिति में उप प्रभागीय वनाधिकारी का नाम, पत्रांक, दिनांक एवं समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर अंकित नहीं किया गया है।
9. क्षतिपूरक वनीकरण के जी०आई०एस० मानचित्र में राजस्व विभाग के हस्ताक्षर अपेक्षित हैं।
10. प्रभावित क्षेत्र के पर्यावरणीय सुधारीकरण/ पुनर्जनन हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्रांक FC-11/43/2021-FC दिनांक 16.01.2023 के अनुसार प्रस्ताव के रैखिक होने के फलस्वरूप परियोजना लागत का 2% का वन्यजीव मिटीगेशन प्लान एवं 0.5% का मृदा एवं जल संरक्षण प्लान उपलब्ध कराया जायेगा तथा सहायतित प्राकृतिक पुर्नोत्पादन एवं अन्य उपचार कार्य प्रस्तावित किये जायेंगे।
11. प्रमुख वन संरक्षक, (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक– 612/26–1 देहरादून, दिनांक– 06.12.2023 से जारी निर्देशों के अनुपालन में वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में मलबे के निस्तारण हेतु समस्त तकनीकी एवं जैविक/वानस्पतिक मानको को सम्मिलित करते हुए तर्कसंगत विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जानी है, जिसमें वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में वर्णित ''मलवा निस्तारण प्लान'' इस प्रकार बनाये जाये कि भविष्य में यह स्थल एक Utility Spot के रूप में भी विकसित किया जा सके। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी स्थिति में यह मलवा एक Sliding Zone में ना परिवर्तित हो और ना ही यह नीचे बहने वाली नदी–नालों में जाये।
12. एन०पी०वी० का आंकलन त्रुटिपूर्ण है। कृपया संशोधित आंकलन चस्पा करें।

कार्यालय : प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी।

फोन/फैक्स : 01376–232077,
ई:मेल :
dfotehri_ua@rediffmail.com

पत्रांक : 722 */12–1* *नई टिहरी, दिनांक–* 9/10/ *2023*

सेवा में,

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड,
मुनिकीरेती।

विषयः– **जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड – भिलंगना में बालगंगा नदी एवं भिलंगना नदी के संगम पर बालगंगा महाविद्यालय को जोड़ने हेतु स्टील गार्डर सेतु एवं एप्रोच मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.085 है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में। (FP/UK/ROAD/47739/2020)**

सन्दर्भः– आपका पत्रांक–1359/12–1, दिनांक–03.01.2022 एवं अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, घनसाली (मु0–घुमेटीधार) का पत्रांक–1369/10 एम जी0, दिनांक–16.09.2023।

महोदय,

प्रश्नगत परियोजना के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर उपरोक्त सन्दर्भित पत्र से लगाई गयी आपत्ति दिनांक–03.01.2022 कि " प्रश्नगत प्रस्ताव की हार्ड प्रति इस कार्यालय को आतिथि तक प्राप्त नही हुई है। अतः उक्त प्रस्ताव की 04 प्रतियों (मूल हार्ड प्रति सहित) इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें," के निराकरण के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक–1320/12–1, दिनांक–01.01.2021 (प्रति मय संलग्नक संलग्न) का अवलोकन करनें का कष्ट करें जिससे अवगत कराया गया था कि उक्त प्रस्ताव की हार्ड प्रति पूर्व में ही इस कार्यालय के पत्रांक–1944/12–1(2), दिनांक–19.03.2018 से प्रेषित की गई है। पूर्व प्रेषित प्रस्ताव पर नोडल कार्यालय के द्वारा मलवा निस्तारण के सम्बन्ध में आपत्ति लगने के फलस्वरूप ऑनलाईन प्रक्रिया से Withdraw किया गया था जिसे पुनः अपलोड किया गया है व इसका नया प्रस्ताव सं0–FP/UK/ROAD/47739/2020 है।

अतः प्रस्ताव पर लगी आपत्तियों के निराकरण के क्रम में अधिशासी अभियन्ता के उक्त सन्दर्भित पत्र से 4 प्रतियॉ(मूल हार्ड प्रति सहित) इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है जिसे संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी

संख्या : / तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, घनसाली (मु0–घुमेटीधार), को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी

वन विभाग
प्राप्ति 2026
पत्रावली 12-1
दिनांक 10/10/2023
उत्तराखण्ड